



प्रेसनोट / सराहनीय कार्य

(पत्रांक-283/2021 दिनांक 13.10.2021)

दिनांक- 13.10.2021 को जनपद कुशीनगर पुलिस द्वारा किया गया सराहनीय कार्य-

अवैध शराब ब्रिकी/परिवहन/निष्कर्षण के विरुद्ध कार्यवाही-(03)

थाना कप्तानगंज-

थाना कप्तानगंज पुलिस टीम द्वारा एक नफर अभियुक्त मदन पुत्र स्व० नियामत साकिन कोटवा थाना कप्तानगंज जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 20 ली० कच्ची शराब बरामद कर अन्तर्गत मु०अ०सं०-317/21 धारा 60 आबकारी अधिनियम में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

थाना बरवापट्टी-

थाना बरवापट्टी पुलिस टीम द्वारा एक नफर अभियुक्त विशाल उर्फ सुमिक तिवारी पुत्र विनोद साकिन ठकरहां वार्ड न० 3 थाना ठकरहां जनपद पश्चिम चम्पारण बिहार को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 21 शीशी देशी शराब बरामद कर अन्तर्गत मु०अ०सं०-66/21 धारा 60 आबकारी अधिनियम में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

थाना खड्डा-

थाना खड्डा पुलिस टीम द्वारा एक नफर अभियुक्त महबुब आलम पुत्र असगर साकिन बसहिया बनवीरपुर थाना को० पड़रौना जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 10 ली० कच्ची शराब बरामद कर अन्तर्गत मु०अ०सं०-227/21 धारा 60 आबकारी अधिनियम में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी-(02)

थाना हाटा-

थाना हाटा पुलिस द्वारा 01 नफर वांछित अभियुक्त अनुज कुमार पुत्र स्व० लालजी पटेल निवासी अछाह थाना को० बबेरू जनपद बांदा को गिरफ्तार कर अन्तर्गत मु०अ०सं० 447/2021 धारा 363/366 भादवि में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

थाना तरयासुजान-

थाना तरयासुजान पुलिस द्वारा 01 नफर अभियुक्त दुर्गेश कुमार पुत्र परमेश्वर गुप्ता उम्र 20 वर्ष सा० सरगटिया करन पट्टी थाना सेवरही जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी की एक अदद मो० फोन बरामद कर अन्तर्गत मु०अ०सं० 325/21 धारा 380,457,411 भादवि० में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

थाना खड्डा-

धर्म विशेष के संबंध में अमर्यादित/ अभद्र टिप्पणी करने वाला आरोपी गिरफ्तार-

जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 13.10.2021 को थाना खड्डा पुलिस टीम द्वारा धर्म विशेष के संबंध में अमर्यादित/ अभद्र टिप्पणी करने वाले आरोपी अभियुक्त छट्टू प्रसाद भारती पुत्र घुघाली प्रसाद सा० लक्ष्मीपुर पड़रहवा थाना खड्डा कुशीनगर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 225/20 धारा 295क भादवि 67 आईटी एक्ट में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. छट्टू प्रसाद भारती पुत्र घुघाली प्रसाद उम्र 50 वर्ष सा० लक्ष्मीपुर पड़रहवा थाना खड्डा कुशीनगर

पंजीकृत अभियोग-

मु०अ०सं० 225/20 धारा 295क भादवि 67 आईटी एक्ट थाना खड्डा कुशीनगर

गिरफ्तार करने वाली टीम-

व०उ०नि० भगवान सिंह

हे०का० योगेश राय

जनपद कुशीनगर पुलिस द्वारा शान्ति भंग में की गयी निरोधात्मक कार्यवाही-

जनपद कुशीनगर के विभिन्न थानों की पुलिस द्वारा नफर 14 अभियुक्तों को शान्ति भंग में गिरफ्तार कर धारा 151 सीआरपीसी के अन्तर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की गयी।

कार्यवाही एक नजर में =

- 1.मोटर वाहन अधिनियम में की गयी कार्यवाही-सीज-0, ई-चालान-53 वाहन।
- 2.107/116 में की गयी कार्यवाही-मु0-24, व्यक्ति-76
- 3.वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी-(03)
4. आबकारी अधिनियम में की गयी कार्यवाही मु0-03, अभि0-03, बरामदगी-30 ली0 कच्ची व 21 शीशी देशी शराब।
- 5.जनपद में कुल गिरफ्तारी-(कुल-20)

मीडिया सेल
जनपद कुशीनगर